झारखण्ड गजट (असाधारण) के
आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
जिला गजट के आगामी अंक
में पुनः प्रकाशनार्थ

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

Website : secjharkhand.nic.in
jsec-jhr@nic.in
दूरभाषः 0651–2284012 / 9264474491
फैक्सः 0651–2280287

पत्रांकः–03नि0न0 / व्यय नि0–86 / 2022   रा0नि0आ0..2654   राँची, दिनांक 22/11/22

आदेश

यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन, 2018 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, 77 एवं 78 सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को स्थानीय नगर निकाय / पंचायत निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

क्र0 सं0	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	जामताड़ा	XIII जामताड़ा / 11 जामताड़ा नगर पंचायत–वार्ड 13	रिंकी सिंह, पति–राम प्रवेश सिंह, जामताड़ा बाजार, वार्ड नं0–07, जामताड़ा	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,
21/11/22

उप निर्वाचन आयुक्त–सह–संयुक्त
सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,

ज्ञापांकः–03नि0न0 / व्यय नि0–86 / 2022 रा0नि0आ0..2654 राँची, दिनांक 22/11/22

प्रतिलिपिः– 1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि आयोग के उक्त आदेश को झारखण्ड गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।

2. नोडल पदाधिकारी, ई0पी0एस0, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रजिस्टर्ड ए.डी.

3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–उपायुक्त, जामताड़ा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है किः–

(i) राज्य निर्वाचन आयोग का यह आदेश जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करा दी जाए। आयोग के इस आदेश को अन्तर्विष्ट करने वाले गजट की एक प्रतिलिपि जैसे ही प्रकाशित हो, आयोग को भेज दी जाए।

(ii) आदेश की एक प्रति सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाए।

(iii) संबंधित अभ्यर्थी को भी आयोग के इस आदेश का तामिला करा दिया जाए।

4. संबंधित अभ्यर्थी।

21/11/22

उप निर्वाचन आयुक्त–सह–संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग